

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत (ii) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (iii) औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाईयों को भूखण्ड/शेड पर दी जाने वाली अनुदान (iii) तकनीकी जानकारी शुल्क पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता (iv) पूंजीगत अनुदान (v) गुणवत्ता प्रमाणन अनुदान की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 में संशोधन।

1—उक्त संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 की कंडिका-4—“उपरोक्त दोनों समितियों द्वारा समीक्षोपरान्त स्वीकृत मामलों में समिति की कार्यवाही की निर्गत तिथि के 7 (सात) दिनों के अन्दर उद्योग निदेशक द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा” को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“4—उपरोक्त दोनों समितियों द्वारा समीक्षोपरान्त स्वीकृत मामलों में समिति की कार्यवाही की निर्गत तिथि के 7 (सात) दिनों के अन्दर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के इकाईयों के लिए उद्योग निदेशक एवं वृहत् प्रक्षेत्र की इकाईयों के लिए निदेशक, तकनीकी विकास के द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा।”

2—उक्त संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 इस हद तक संशोधित होगा एवं इसके निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

80/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— 127 /पटना, दिनांक— 15. 01. 16.

सं0सं0— 4राक0/विधि/ C/929/2013

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

15/01/16

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक-127/पटना, दिनांक : 15.01.16-

सं० 4 तक०/विधि/C/929/2013

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कंपनी लि०, पटना/ सभी प्रभंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, एम.एस. एम.ई.डी.आई., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना/भुजफरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

15/01/16

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:- 127 /पटना, दिनांक:- 15.01.16

सं० 4 तक०/विधि/C/929/2013

प्रतिलिपि: आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/01/16

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

5